

2025/15

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम


अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री दिलीप राजपुरोहित, एडवोकेट  
निवासी भद्रकर नगर सिरौही  
तहसील सिरौही  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 27 वर्ष 2025

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तागिल में जारी हुए
12.05.2025	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 20.11.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर पत्र में वर्णित ग्राम कराईफली, सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरौही से सम्बन्धित बिन्दु संख्या एक से ग्यारह के सम्बन्ध में सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 20.11.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पत्र में वर्णित ग्राम कराईफली, सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरौही से सम्बन्धित बिन्दु संख्या एक से ग्यारह के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">             (अल्पा चौधरी)            जिला कलक्टर, सिरौही         </p>	

